न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—318 / 2019

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थी

पुखराज पुत्र श्री कानाराम
जाति सुथार, निवासी सुथारों की ढाणियां
गगाड़ी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार
तिंवरी

प्रार्थीगण की ओर से :— अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :— सरकारी पैरोकार।

—::निर्णय::—

दिनांकः— 30/10/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 85 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 86 रकबा 63 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 80/1 रकबा 50 बीघा व खसरा नम्बर 219 रकबा 48 बीघा 02 बिस्वा ग्राम गगाड़ी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पुरखाराम पि. कानाराम दर्ज हैं लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम पुखराज हैं। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा पुरखाराम दर्ज कर दिया जो गलत हैं। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि में पुखराज नाम दर्ज हैं उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं तथा खसरा नम्बर 219 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम के आगे नाबालिग दर्ज है। जबकि आज दिन प्रार्थी बालिग है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी [illegible] एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थी अपनी भूमि [illegible] भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी [illegible] प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 85 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 86 रकबा 63 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 80/1 रकबा 50 बीघा व खसरा नम्बर 219 रकबा 48 बीघा 02 बिस्वा ग्राम गगाड़ी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में प्रार्थी का पुरखाराम पि. कानाराम के स्थान पर पुखराज पुत्र कानाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने तथा खसरा नम्बर 219 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम के आगे दर्ज नाबालिग हटाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा खसरा नम्बर 82 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 85 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 86 रकबा 63 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 80/1 रकबा 50 बीघा व खसरा नम्बर 219 रकबा 48 बीघा 02 बिस्वा ग्राम गगाड़ी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में प्रार्थी का पुरखाराम पि. कानाराम के स्थान पर पुखराज पुत्र कानाराम दर्ज करने तथा खसरा नम्बर 219 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम के आगे दर्ज नाबालिग हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

आज दिनांक 30/10/... को खुला ... में आदेश सुनाया गया।

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner